

US - 160

4x1-22

Vidhan Sabha Question  
Immediate/Out Today

**Govt. of National Capital Territory of Delhi**  
**Office of the Commissioner Food Supplies and Consumer Affairs**  
**K-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi – 110002**  
**(Coordination Branch)**

e-mail:-[fsocoordination@gmail.com](mailto:fsocoordination@gmail.com)

File No. F.3/F&S/DLA/Coord/2021/012

Date :- 03/01/2022

To

✓ The Dy. Secretary (Question Branch),  
Delhi Legislative Assembly,  
Old Secretariat,  
Delhi-54

Sub:- Delhi Legislative Assembly Starred Question No. 160 asked by **Shri Mohan Singh Bisht,**  
**MLA** due for answer on 04/01/2022

Sir,  
With Reference to above cited subject, I am directed to forward herewith 100 copies of  
reply of the above question, duly authenticated by the Competent Authority.

Yours faithfully,

  
(Ajay Kumar Sinandi)  
Asstt. Commissioner, F&S

File No. F.3/F&S/DLA/Coord/2021/012

Date :- 03/01/2022

Copy for information:  
Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT of Delhi, Old Secretariat  
Delhi along with 150 copies of the reply of above referred DLA Starred question of distribution  
of the House.



विभाग का नाम:-खाद्य एवं आपूर्ति  
विभाग का पता:-के-ब्लॉक विकास भवन,  
आईपीइस्टेट, नईदिल्ली-110002

अतारंकित प्रश्न संख्या: -160

दिनांक: -04.01.2022

प्रश्न करता का नाम :-श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या उपमुख्यमंत्री /मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र सं	प्रश्न	उत्तर
क	करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के लोगो को राशन वितरण किस माध्यम से किया जा रहा है	करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के लोगो को राशन वितरण उचित दर दुकानों (नागरिक आपूर्ति योजना PDS) एवंशिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के अंतर्गत (गैर नागरिक अपूर्ति योजना NONPDS) के माध्यम द्वारा किया जा रहा है
ख	दिल्ली सरकार केंद्र सरकार द्वारा कितना कितना राशन वितरण किया जा रहा है	1. एनएफएस अधिनियम, 2013 के तहत वितरण अ. अ. योजना-25 किलो गेहूँ 10 किलो चावल तथा 01किलो चीनी प्रायोरिटी राशन 04 किलो गेहूँ, 01 किलो चावल (प्रत्येकव्यक्ति) 2. पीएमजीकेवाई के तहत वितरण: प्रत्येकव्यक्ति 04 किलो गेहूँ, 01 किलो चावल 3. दिल्ली सरकार द्वारा गैर-पीडीएस के तहत वितरण (जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जिन्हें भोजन की आवश्यकता है) प्रत्येकव्यक्ति 04 किलो गेहूँ, 01 किलो चावल
ग	करावलनगर विधानसभा के अंतर्गत कुल कितनी राशन की दुकानें हैं	करावलनगर विधान सभा के अंतर्गत कुल 41 दुकाने हैं
घ	राशन वितरण में घपलेबाजी रोकने के लिए कितनी राशन की दुकानों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया है और कब कब इन राशन की दुकानों की जाँच पड़ताल की गयी	करावलनगर विधानसभा के अंतर्गतकुल 41 दुकाने हैं जिनपर epos मशीनमें बायोमैट्रिक सिस्टम द्वारा राशन वितरण किया जाता है और समय-समय पर दुकानों का निरिक्षण होता है

Secretary-Cum-Commissioner  
Deptt. of Food, Supplies & Consumer Affairs  
Govt. of N.C.T. of Delhi  
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate  
New Delhi- 110002